

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र
दिनांक 27 फरवरी, 2024

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के तृतीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक कृषि विभाग

- प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 39,77,80,000/- (उनतालीस करोड़ सतहतर लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 51,15,43,000/- (इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख तीनतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

- प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 265,55,15,000/- (दो सौ पाँसठ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

7. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान, तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त ₹1,90,35,000/- (ग्यारह करोड़ नब्बे लाख पैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

8. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त ₹1,17,00,000/- (एक करोड़ सत्रह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

9. श्री अख्तररूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग ₹10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

10. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त ₹45,00,000/- (पैंतीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

11. श्री अख्तररूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग ₹10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार को कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक सहकारिता विभाग

12. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 18,09,45,000/- (अठारह करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

13. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार को सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

14. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 'ऊर्जा विभाग' के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 372,75,28,000/- (तीन सौ बहतर करोड़ पचहतर लाख अद्वाईस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 15-16. श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक वित्त विभाग

17. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 460,00,00,000/- (चार सौ साठ करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

18. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

19. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “पंचायती राज विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,96,98,000/- (पाँच करोड़ छियानवे लाख अंटानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

20. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

21. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “वाणिज्य-कर विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24,15,000/- (चौबीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

22. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

23. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए “खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग” के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7,03,95,000/- (सात करोड़ तीन लाख पंचानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल को सिफारिश पर किया गया है।

24. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

25. प्रधारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 47,96,98,000/- (सेंतालीस करोड़ छियानवे लाख अंटानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

26. श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

27. प्रधारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 400,00,01,000/- (चार सौ करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 28-29. श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

30. प्रधारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 88,97,00,000/- (अद्भासी करोड़ संतानवे लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

31. श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

32. प्रधारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 25,00,04,000/- (पच्चीस करोड़ चार हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

33. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

34. प्रधारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 585,23,50,000/- (पाँच सौ पचासी करोड़ तीन लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 35-36. श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

37. प्रधारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,00,00,000/- (चौदह करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

38. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सूचना प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

39. प्रधारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,84,11,000/- (पाँच करोड़ चौरासी लाख रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

40. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विभास करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

41. प्रधारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 32,00,01,000/- (बत्तीस करोड़ एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

42. प्रधारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 62,79,61,000/- (बासठ करोड़ उनासी लाख इक्सठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

43. प्रधारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10,23,00,000/- (दस करोड़ तेंडस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

44. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

45. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,35,01,000/- (एक करोड़ पैंतीस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

46. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-36

आय व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

47. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 276,66,00,000/- (दो सौ छिह्नतर करोड़ छियासठ लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

48. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,80,69,000/- (आठ करोड़ अस्सी लाख उनहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

49. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

50. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

51. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

52. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 26,02,00,000/- (छब्बीस करोड़ दो लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

53. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

54. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

55. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 77,97,00,000/- (सतहतर करोड़ संतानवे लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

56. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

57. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 88,11,65,000/- (अद्वासी करोड़ ग्यारह लाख पैसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

58. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

59. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 23,48,77,000/- (तेइस करोड़ अड़वालीस लाख सतहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

60. प्रधारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,50,00,000/- (छ: करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

61. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार को गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

62. प्रधारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 16,00,000/- (सोलह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

63. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार को पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

64. प्रधारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,25,00,000/- (छ: करोड़ पच्चीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

65. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार को परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

66. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुमूली में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 578,29,63,000/- (पाँच सौ अठहजार करोड़ उनतीस लाख तिरसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 67-68. श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार को नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

69. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुमूली में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,70,00,000/- (एक करोड़ सतत लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

70. अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार को लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

71. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुमूली में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 410,24,21,000/- (चार सौ दस करोड़ चौबीस लाख इक्कीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 72-73. श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार को समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-52
आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

74. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अंतरिक्त 18,90,00,000/- (अठारह करोड़ नव्वे लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

राज कुमार
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

कटींती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2024- ७२० / विंस०, पटना, दिनांक- २४ फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीण / अन्य मंत्रिण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2024- ७२० / विंस०, पटना, दिनांक- २४ फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-03/2024- ७२० / विंस०, पटना, दिनांक- २४ फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।